न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राज. सरकार बनाम ~~तहसीलदार~~ लल्लू मु.नं.– 12/25 किस्म – धारा 131 LR Act	

9.5.25 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी पक्ष उपस्थित। ग्राम पंचायत जटवाड़ा सरपंच ने सूचित किया कि खातेदार लल्लू फौत हो गया है। अतः खातेदार लल्लू के कायमी मुकाम प्रा.पत्र पेश हो। पत्रावली वास्ते कायमी मुकाम प्रा.पत्र खातेदार लल्लू दिनांक 30.5.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

30.5.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी लल्लू के फौत होने के कारण उनके विधिक वारिसान धन्नली, भगवान, रामस्वरूप, किशन, शेरसिंह, हुकमचन्द, प्रेम देवी, लिछमा उर्फ लक्ष्मी देवी, सीमा के द्वारा शपथ पत्र (सहमति) प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17.6.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

17.6.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष उपस्थित। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र बाबत रास्ता अंकन पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र बाबत रास्ता अंकन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख (जमाबंदी व नक्शा) में बिना टाईटल परिवर्तन किये आ.उ. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
12/2025	10.02.2025	17.06.2025

बउनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावरं, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

2. लल्लू पुत्र मूल्या, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. प्रार्थी – तहसीलदार मण्डावर।

प्रार्थना पत्र बाबत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में अभिलिखित करने अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86

निर्णय

1. तहसीलदार मण्डावर द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावी नियम व अधिसूचनाओं के अनुसरण में, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक –पं. 3(2) एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत मौके पर स्थायी रूप से प्रचलित/चालू रास्तों को राजस्व अभिलेखों में अंकित करने बाबत् प्रस्ताव ग्राम सरावली, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत 2072–2075 अनुसार, आराजी खसरा सं. 471 रकबा 0.23 हैक्टे. किस्म चाही A में से 0.01 हैक्टे. को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौके पर प्रचलित रास्ते की उक्त भूमि गै. मु. रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की अभिशंषा के साथ प्राप्त हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि के निजी खातेदार लल्लू पुत्र मूल्या को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये।

3. अप्रार्थी लल्लू के फौत होने के कारण उनके विधिक वारिसान धनसी, भगवान, रामबाबू, विक्रम, शेरसिंह, हुकमचंद, प्रेम देवी, लिक्षमा उर्फ़ लक्ष्मी देवी, सीमा के द्वारा शपथ पत्र (सहमति) प्रस्तुत कर कथन किया कि उनके कब्जे तथा स्वामित्व की भूमि वाके ग्राम सरावली में स्थित खसरा संख्या 471 में होकर रास्ता बनाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है। खसरा संख्या 471 के समस्त खातेदारों द्वारा प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु अपनी सहमति प्रस्तुत की है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

4. प्राप्त प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट के मुताबिक, उपरोक्त भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है, उपरोक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है, भूमि का संलग्न मानचित्र (नक्शा ट्रेस) में लाल स्याही से अंकित किया हुआ है। तहसीलदार मण्डावर ने इस प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है। उक्त खसरों के खातेदारों ने इस बाबत अपनी सहमति प्रदान की है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मण्डावर के द्वारा प्रस्तावित आराजी खसरा सं. 471 रकबा 0.23 हैक्टे. में से 0.01 हैक्टे. वाके राजस्व ग्राम सरावली, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा को मानचित्र एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

6. राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक–पं.3(2) राज.–6/2008/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है एवं खातेदारों की सहमति के आधार पर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तावित मौके पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते हेतु ग्राम सरावली, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत 2072–2075 अनुसार, आराजी खसरा सं. 471 रकबा 0.23 हैक्टे. में से 0.01 हैक्टे. को राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी व नक्शा) में बिना टाईटल परिवर्तन किये गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग होगा। तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. यह आदेश राज्य सरकार के प्रभावी नियमों एवं अधिसूचनाओं के आधार पर दिनांक 17.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)